

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 2472  
दिनांक 13.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

बिहार के औरंगाबाद जिले में जल संकट

2472. श्री अभय कुमार सिन्हा:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बिहार के औरंगाबाद जिले में गर्मी के महीनों के दौरान गंभीर जल संकट की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ख) सरकार द्वारा उत्तरी बिहार में बाढ़ की आवृत्ति और प्रभाव तथा दक्षिणी बिहार में सूखे को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) औरंगाबाद जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत अब तक कितने गांवों को शामिल किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा जल निकायों के पुनरुद्धार और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने विशेष रूप से सूखाग्रस्त दक्षिणी बिहार और बाढ़ग्रस्त उत्तरी बिहार में जल प्रबंधन को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति  
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): बिहार राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, औरंगाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई गंभीर जल संकट नहीं है। तथापि, भीषण गर्मी के दौरान कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां मौसमी भूजल गिरावट और कुछ बोरवेल में कम मात्रा में जल प्राप्त होने के कारण जल संकट का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिले के हर ग्रामीण घर में नल जल की आपूर्ति के प्रावधान के साथ, इसका भी समाधान किया गया है।

(ख): अगस्त, 2019 से, भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) को लागू कर रही है, ताकि बाढ़ प्रभावित और सूखाग्रस्त क्षेत्रों सहित देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके। बिहार राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, गर्मी के मौसम के दौरान किसी संकट को कम करने

के लिए आपदा प्रबंधन स्कीम के तहत प्रत्येक वर्ष गहरे बोरवेल हैंडपंपों के निर्माण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है।

इसके अतिरिक्त, जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के दौरान बाढ़, लू आदि जैसी विषम स्थितियों के दौरान पेयजल आपूर्ति के प्रबंधन पर जोर दिया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, जमीन धसकने, भूकंप के प्रभाव से सुरक्षा के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति अवसंरचना के स्थानों का सावधानीपूर्वक चयन करें; लचीला बुनियादी ढांचा तैनाती; भूकंप/बाढ़ अथवा चक्रवात/भू-स्खलन संभावित क्षेत्रों के लिए जारी नियम संबंधी प्रावधानों का अनुपालन करें। तटीय क्षेत्रों, बाढ़ प्रवण क्षेत्रों, हिमालयी राज्यों आदि जैसे आपदा प्रवण क्षेत्रों के लिए राज्यों को हैंडपंपों/नल कनेक्शनों के लिए प्लेटफार्म उंचा करने, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में अंतरिम समाधान के रूप में कार्य करने के लिए समय-समय पर उनकी कार्यक्षमता सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई है।

(ग): पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, प्रचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है। ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए अलग-अलग परियोजनाओं/स्कीमों के ब्यौरे भारत सरकार स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। जैसा कि बिहार के औरंगाबाद जिले में जेजेएम-आईएमआईएस पर बिहार राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट किया गया है, 15.08.2019 तक, केवल 1,014 (0.25%) ग्रामीण परिवारों में नल जल कनेक्शन होने की सूचना मिली थी। तब से, जिले में 3,80,557 अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 10.03.2025 तक, जिले के 3,98,372 ग्रामीण परिवारों में से 3,81,571 (95.78%) परिवारों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। जिले के 1,721 गांवों में से 1,398 गांवों में जेजेएम आईएमआईएस पर राज्य द्वारा हर घर जल गांव होने की सूचना है।

(घ): बिहार राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, जल संसाधनों, जल संरक्षण, हरित क्षेत्रों के विस्तार और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए अन्य विभागों के सहयोग से विभिन्न उपाय किए जाते हैं जिससे राज्य में जल प्रबंधन सुदृढ़ होता है। इनमें से कुछ उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- i.) तालाबों, अहर-पाइन, कुओं जैसी जल भंडारण संरचनाओं का कायाकल्प और सोखता गड्ढों का निर्माण।
- ii.) चेक बांधों, गारलैंड ट्रेंच और नए वर्षा जल संरक्षण और संचयन संरचनाओं का निर्माण।
- iii.) सरकारी भवनों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण।
- iv.) प्रचुर जल वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल का परिवहन।
- v.) भूजल की खपत को कम करने के लिए जैविक खेती, स्प्रींकलर, ड्रिप सिंचाई आदि जैसी वैकल्पिक कृषि विधियों का उपयोग।

\*\*\*\*\*